राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या–46/2025

कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत निर्मली, जिला सुपौल बनाम् श्रीमती मीरा कुमार आनन्द।

इस वाद की सुनवाई दिनांकः–13.01.2026, दिनांकः–17.03.2026 एवं दिनांकः–11.06.2026 को हुई, यह वाद नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांकः–2977, दिनांक–23.09.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत निर्मली, जिला–सुपौल के पत्रांक–721, दिनांक–26.07.2025 के द्वारा श्रीमती श्रीमती मीरा कुमारी आनन्द, वार्ड पार्षद, नगर पंचायत निर्मली, जिला–सुपौल के विरुद्व लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए, बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(ढ़) के अधीन उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है, के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(2) के तहत नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान के आधार पर वाद प्रारंभ किया गया।

2. वादी सिर्फ अंतिम सुनवाई को उपस्थित रहे। जबकि प्रतिवादी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रूपेश कुमार तिवारी द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **सुपौल** द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री गयानन्द यादव, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल को प्राधिकृत किया गया।

3. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के विरूद्ध लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं रहने का आरोप लगाया गया है, जबकि बैठक संबंधी नोटिस का तामिला 72 घंटे पहले प्राप्त नहीं हुआ।

आगे प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जवाब दायर किया गया तथा आयोग को यह भी बताया गया कि श्री शशिकांत (बिहार नगर सेवा) तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, निर्मली, जिला–सुपौल द्वारा वाद का विचाराधीन रहते हुए भी उनके मुवक्किल को नगर पंचायत, निर्मली की बैठकों में भाग लेने से रोक दिया गया है तथा उनकी सदस्यता बिना वैधानिक अधिकार के स्वयं स्थगित कर दिया गया है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि उनके मुवक्किल का सदस्यता बिना वैधानिक अधिकार के स्थगित कर दिया जाना, यह न केवल आयोग के न्यायिक क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण है, बल्कि न्यायिक अवमानना का भी विषय है, क्योंकि अभी उनके मुवक्किल के विरूद्ध न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत सक्षम न्यायालय के तरफ से कोई निर्णय नहीं दिया गया है।

आयोग द्वारा प्रतिवादी श्री मीरा कुमारी आनन्द को नगर पंचायत, निर्मली के बोर्ड के बैठकों में भाग लेने से प्रतिबंधित किये जाने की मामले को गंभीरता से लिया गया तथा जिला पदाधिकारी, सुपौल को आदेश दिया गया कि इस आधार पर भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं किया जायेगा कि उनके विरूद्ध लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थिति के आरोप के कारण वाद विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त कारणों से लगाये गये, अस्थायी प्रतिबंध या आरोप गैर वैधानिक है।

आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में प्रतिवादी द्वारा बैठक में भाग लिये गये कि स्थिति एवं नोटिस सर्व किये जाने संबंधित साक्ष्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

4. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन पत्रांक–632–2/जि0पं0, दिनांक–18.04.2026 द्वारा उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–**

"जिला का नामः– सुपौल

नगरपालिका का नाम–नगर पंचायत, निर्मली

वर्तमान बोर्ड के गठन की तिथि–13.01.2023

क्र0सं0	बैठक की तिथि	कार्यालय द्वारा बैठक हेतु पत्र निर्गत की तिथि	पत्र तामिला करने की तिथि/समय	वार्ड पार्षद द्वारा प्राप्त	किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पत्र प्राप्त	अन्य व्यक्ति से वार्ड पार्षद का संबंध	सभी संबंधित साक्ष्य
01.	01.02.2025	28.01.2025	29.01.2025	–	श्री विवेकानन्द	पति	छायाप्रति संलग्न
02.	24.04.2025	21.04.2025	22.04.2025/12:30 PM		श्री विवेकानन्द	पति	छायाप्रति संलग्न
03.	26.07.2025	23.07.2025	दिनांक–26.07.2025 को होने वाली सामान्य बोर्ड की बैठक की सूचना पंजी श्री सुभाष कर्मी, आदेशपाल द्वारा श्रीमती मीरा कुमारी आनन्द, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–12 के आवास गया हुआ था, परन्तु इनके द्वारा बैठक की सूचना पंजी पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया गया था।				

5. आयोग द्वारा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सुपौल के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन एवं जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 (यथासंशोधित) की धारा–49 में बैठक की सूचना तथा कार्यों की सूची का वर्णन है:–

49. बैठक की सूचना तथा कार्यों की सूचीः– नगरपालिका के प्रत्येक बैठक में सिवाय स्थगित बैठक के, किये जानेवाली कार्यों की सूची रजिस्ट्रीकृत पते पर, ऐसी बैठक के लिए नियत समय से कम से कम बहत्तर घंटे पूर्व प्रत्येक (मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं पार्षदों) को भेजी जायेगी तथा जिस कार्य की सूचना दी गयी हो उससे भिन्न कोई कार्य बैठक में न तो लाया जायेगा और न निष्पादित किया जायेगा।

(क) उक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि दिनांक–24.04.2025 को बैठक के लिए कार्यालय द्वारा बैठक हेतु पत्र निर्गत तिथि–21.04.2025 है, जिसका तामिला दिनांक–22.04.2025 को समय– 12:30 बजे अपराह्न में प्रतिवादी के पति श्री विवेकानन्द को कराया गया, जो नियमानुसार 72 घंटे पूर्व नहीं है। **अतः वादी (श्री शशिकान्त, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली, जिला–सुपौल) के द्वारा लगाये गये आरोपों को खारिज किया जाता है।**

(ख) श्री शशिकान्त, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली, जिला–सुपौल द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(2) के नियमों के अध्ययन से स्पष्ट न होने के कारण, मेरे निर्णय लेने की सीमित क्षमता के कारण श्रीमती मीरा कुमारी आनन्द

की सदस्यता स्थगित करने का निर्णय लिया गया, जो स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 में कर्त्तव्यों एवं शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण एवं लिखित वर्णन उपलब्ध है। इसके बावजूद यदि कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली को किसी बिन्दु पर संशय था अथवा जानकारी का अभाव था, तो यह जानते हुए कि उन्हें नियमों का ज्ञान नहीं है, किसी निर्वाचित जनप्रतिधि के विरूद्ध गैर विधिक दंडात्मक कार्रवाई करने से पूर्व विभाग/आयोग या उच्च अधिकारी से निदेश/परामर्श प्राप्त करना चाहिए था, परन्तु गैर विधिक निर्णय लेने से पहले श्री शशिकान्त, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली, जिला–सुपौल द्वारा न ही आयोग से, और न ही किसी सक्षम प्राधिकार से मार्गदर्शन प्राप्त की गयी। बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1) के सुसंगत धारा–सह–पठित धारा–18(2) के तहत किसी निर्वाचित अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित करने की शक्ति मात्र आयोग में निहित है।

उक्त वर्णित प्रावधानों एवं स्थितियों से स्पष्ट है कि आयोग द्वारा श्री शशिकान्त, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली, जिला–सुपौल को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 में वर्णित वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। फलतः जिला पदाधिकारी, सुपौल को आदेश दिया जाता है कि 02 सप्ताह के अन्दर तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, निर्मली, जिला–सुपौल के विरूद्ध अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में चूक, शक्तियों के दुरूपयोग एवं अपने अधिकारिता का उल्लंघन कर निर्वाचित जनप्रतिनिधि को वैधानिक बैठकों में भाग लेने से प्रतिषेधित करने के प्रमाणित आरोपों के कारण उनके विरूद्ध प्रपत्र–'क' गठित करते हुए, उनके पैतृक विभाग को प्रेषित कर दी जाए। साथ ही साथ विभाग को पैतृक विभाग को प्रेषित आरोप–पत्र की एक प्रति आयोग को भी उपलब्ध करायी जाए।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
22.10.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
22.10.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–46/2025 / 4128 **पटना, दिनांक–**22/10/2026

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–46/2025 / 4128 **पटना, दिनांक–**22/10/2026

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **सुपौल**/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, **सुपौल** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, **सुपौल** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–46 / 2025 /4128 पटना, दिनांक– 22/10/2026

प्रतिलिपि–प्रतिवादी श्रीमती मीरा कुमारी आनन्द, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–12, नगर पंचायत निर्मली, जिला–**सुपौल** को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञापांक–46 / 2025 /4128 पटना, दिनांक– 22/10/2026

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर / श्रीमती प्रीति कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त